न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—मनोज . आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या — वाद पत्र 05 / 2024

अनवान प्रकरण

1—मनोहरलाल पिता रामलाल शर्मा निवासी पीएनटी कॉलोनी, कापूनगर भीलवाड़ा
———वादी

बनाम

1—ईश्वर पिता बालू जाट निवासी ढेडवास(नारायणपुरा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—कल्याण पिता बालू जाट निवासी ढेडवास(नारायणपुरा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—बंशी पिता बालू जाट निवासी ढेडवास(नारायणपुरा) तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल तहसील माण्डल
———प्रतिवादीगण

(वाद पत्र बाबत— कब्जेयाबी आराजी, अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थितः— वकील वादी — श्री पप्पूलाल शर्मा

———0———

निर्णय दिनांक 30.07.2024

वादी के द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—

1—यह कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी वाके ग्राम मालीखेड़ा उर्फ हनुमाननगर पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पीथास की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 104 में आराजी नम्बर 3249 / 2641 रकबा 0.5182 हैक्टर भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी दर्ज है। जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

2—यह कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने वादी की आराजी संख्या 3249 / 2641 के आंशिक भू—भाग पर वर्ष 2022 में नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को पत्थरगढी करवाने के लिये कहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने मना कर दिया तथा वादी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। जिस पर वादी ने न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डल के यहां पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 168 / 2022 होकर निर्णय दिनांक 27.12.2022 को हुआ। प्रकरण में दिनांक 01.03.2023 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई, जिसका पर्चामौका बनाया गया तब वादी को पुख्ता जानकारी हुई कि वादी की आराजी नम्बर 3249 / 2641 रकबा 0.5182 हैक्टर में से 0.0632 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने कब्जा कर लिया है । उक्त पर्चामौका में हिदायत दी गई कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करें। इस कारण उक्त वादपत्र पेश करने की नोबत आई।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

3—यह कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने वादी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य कर लिया जो विधिविरूद्ध है जिसे हटाने का वादी को पूर्ण अधिकार है। इसी कारण वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत किया है। बिनाय वाद का कारण दिनांक 01.03.2023 को पत्थरगढी किये जाने से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारी तहसीलदार माण्डल होने से वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0दी0 के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत किया जिसके लिए वादी ने वाद को विचारार्थ ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 का अलग से प्रस्तुत है।

4—अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध इस आशय की कब्ज़ेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम मालीखेड़ा उर्फ हनुमाननगर पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पीथास की आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.5182 हैक्टर भूमि में से 0.0632 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 ने कब्जा कर लिया है जिनसे हटाया जाकर कब्जा मय मीन प्रोफिट्स के वादी को दिलाया जावे।

5—वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 01.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 16.04.2024 को एक तरफा आदेश पारित किया। प्रकरण एक तरफा होने से शहादत वादी में गवाह पीडब्ल्यू—1 स्वयं वादी के द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत शपथ—पत्र पर मौखिक शपथ दिलाते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों को दिनांक 14.05.2024 को प्रदर्श कराया। वादी के द्वारा ग्राम मालीखेड़ा उर्फ श्री हनुमानपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 104 की प्रस्तुत की जो प्रदर्श—1 है। ग्राम मालीखेड़ा उर्फ श्री हनुमानपुरा की आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.5182 हैक्टर की पत्थरगढी का प्रकरण वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 168/22 दर्ज हुए जिसमें पत्थरगढी का आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के द्वारा दिनांक 27.12.2022 से होने पर मौके पर आराजी की पत्थरगढी करने के लिए उपस्थित रहने के लिए भू अभिलेख निरीक्षक पीथास द्वारा प्रार्थी(वादी) एवं आराजी के पड़ौसी अप्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03) व अन्य को सूचना पत्र दिनांक 25.02.2023 जारी किया जिसकी प्रमाणित फोटू प्रति एवं मौका पर्चा तैयार किया जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श—2 है। अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस की गई।

7—यह कि वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 3249/2641 रकबा 0.5182 हैक्टर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा 0.0632 हैक्टर पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने कब्जो छोडने से मना कर दिया तथा मैंने अपनी खातेदारी की आराज़ी की श्रीमान के न्यायालय में पत्थरगढी का

उपखण्ड अधिकारी

र्थनापत्र प्रस्तुत कर नपती करवाई गई। श्रीमान के न्यायालय में मुझ वादी द्वारा स्तुत पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 168/2022 दर्ज होकर पत्थरगढी के आदेश दिनांक 17.12.2022 को दिए गए। उक्त आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक पीथास एवं पटवारी हल्का पीथास के द्वारा मौके पर आराजी की पत्थरगढी किए जाने से पूर्व मौके पर उपस्थित रहने के लिए पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें प्रतिवादी स्वयं बंशी ने पर्चामौका दिनांक 01.03.2023 को बनाया गया उस पर अपने हस्ताक्षर किए गए। उक्त पर्चामौका में मुझ प्रार्थी (वादी) की खातेदारी की आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.5182 हैक्टर में से 0.0632 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया जाना अंकित है साथ ही उक्त पर्चामौका में मुझ वादी को हिदायत दी गई कि कब्जा प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा प्राप्त करें इस बाबत यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझ वादी के द्वारा अपने वाद को पूर्णतया सिद्ध कराया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमा डिक्री फरमाया जावे।

13– हमने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे प्रस्तुत वादपत्र व बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से पाया कि वर्तमान ग्राम मालीखेड़ा उर्फ श्रीहनुमानपुरा तत्कालीन समय में ग्राम पीथास की आराजी संख्या 3249/2641 रकबा 0.5182 हैक्टर प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 104 में मनोहरलाल पिता रामलाल शर्मा निवासी क्यू–65 पीएनटी कॉलोनी बापूनगर भीलवाड़ा के नाम पर खातेदारी से दर्ज होकर बैक ऑफ बड़ौदा शाखा भादू के रहन दर्ज होना सिद्ध होता है। इस प्रकार वादवर्णित आ0नं0 3249/2641 में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं है। पत्रावली में संलग्न पर्चामौका इस न्यायालय के पत्थरगढी के प्रकरण संख्या 168/2022 बअनवान मनोहरलाल बनाम उगमीदेवी गाडरी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 की पालना में पत्थरगढी किए जाने हेतु दिनांक 01.03.2023 को मौके पर पक्षकारान को उपस्थित रहने के लिए भू अभिलेख निरीक्षक पीथास के द्वारा दिनांक 25.02.2023 को सूचना पत्र जारी किया जिसमें प्रतिवादी ईश्वर, कल्याण, बंशी पिता बालू भी पक्षकार होकर उक्त सूचना पत्र पर बंशी व कल्याण के हस्ताक्षर होना सिद्ध होता है अर्थात प्रतिवादीगण को आराजी की पत्थरगढी की जाने की सूचना विधिवत तामील होना सिद्ध होता है। तत्पश्चात मौके पर दिनांक 01.03.2023 को आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.05182 हैक्टर की पत्थरगढी की जिसका पर्चामौका पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक पीथास द्वारा पर्चामौका प्रदर्श–2 तैयार किया जिस पर स्वयं बंशी पिता बालू के हस्ताक्षर है। इस पर्चामौका में वादी की आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.05182 हैक्टर में से 0.0632 हैक्टर पर प्रतिवादी ईश्वर, कल्याण, बंशी पिता बालू जाट सा0 ढेडवास(नारायणपुरा) त0 भीलवाड़ा का कब्जा पाया जाना अंकित है जिसे प्राप्त करने के लिए वादी को हिदायत दी गई कि कब्जा प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें । इस प्रकार वादी के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत दिनांक 01.02.2024 को प्रस्तुत किया जो विधिसम्मत है। प्रतिवादीगण ने बावजूद सूचना के वाद के खण्डन में कोई लिखित जवाब या कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी के वाद को स्वीकार किए जाने में कोई

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती है। वादी अपने वाद को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहा है। अतएव–

निर्णय

उपरोक्त विवरण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार माण्डल ग्राम मालीखेड़ा उर्फ श्रीहनुमानपुरा पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 3249/2641 रकबा 0.5182 किस्म बंजड़ में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 श्री ईश्वर, कल्याण, बंशी पिता बालू जाट निवासी ढेडवास (नारायणपुरा) तहसील भीलवाड़ा के द्वारा किए गए 0.0632 हैक्टर अतिक्रमित रकबे से कब्जा हटाया जाकर वादी मनोहरलाल पिता रामलाल शर्मा निवासी क्यू–65 पीएनटी कॉलोनी, बापूनगर भीलवाड़ा को सिपुर्द करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा